रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 388] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 31, 2012/श्रावण 9, 1934

No. 388] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 31, 2012/SHRAVANA 9, 1934

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2012

सा.का.नि. 601(अ).—केन्द्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 39 की उपधारा (1) के खंड (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (जीन निधि से मान्यता और पुरस्कार) नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पुरस्कार- (1) ऐसा कृषक, जो भू-प्रजातियों के आनुवांशिक स्रोतों और आर्थिक पौधों के जंगली अन्योन्याप्रयी के संरक्षण में और चयन और परिरक्षण के माध्यम से उनके सुधार में लगा हुआ है, एक पुरस्कार का हकदार होगा, जिसे "पौधा संजीन उद्धारक कृषक पुरस्कार" कहा जाएगा ।

(2) एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम दस या उससे कम पुरस्कार होंगे ।

(3) प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रशंसा पत्र, स्मृति चिन्ह और एक लाख रुपए नकद सम्मिलित होंगे ।

3. मान्यता - (1) नियम 2 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट कोई कृषक मान्यता का हकदार होगा जिसे पौधा संजीन उद्धारक कृषक मान्यता कहा जाएगा ।

(2) मान्यता में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम बीस मान्यता प्रमाण पत्र के अधीन रहते हुए एक प्रशंसा पत्र और स्मृति चिन्ह सम्मिलित होगा ।

4. मान्यता और पुरस्कार वार्षिक रूप से प्रदान किया जाना- (1) कृषकों को मान्यता और पुरस्कार वार्षिक रूप से प्रदान किए जाएंगे ।

(2) जीन निधि से मान्यता और पुरस्कार के लिए ब्यौरे और आवेदन प्ररूप समाचार पत्रों के माध्यम से और प्राधिकरण की वेबसाइट पर विस्तृत रूप से प्रचारित किए जाएंगे ।

5. पात्रता और पुरस्कार प्राप्तकर्ता का अवधारण समिति द्वारा किया जाना - (1) मान्यता और पुरस्कार के लिए पात्रता मानदंड धारा 39 की उपधारा (1) के खंड (iii) के अनुसार होंगे ।

(2) किसी कृषक को धारा 39 की उपधारा (1) के खंड (iii) के अनुसार मान्यता और पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए भू-प्रजातियों के आनुवांशिक स्रोतों और आर्थिक पौधों के जंगली अन्योन्याप्रयी के संरक्षण में चयन और परिरक्षण के माध्यम से उनके सुधार में लगना होगा और इस प्रकार चयनित और परिरक्षित सामग्री को अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के योग्य किस्मों के जीन के दाता के रूप में उपयोग किया गया हो ।

3) कृषि एवं सहकारिता विभाग में विस्तार कार्य को देखने वाले अपर सचिव/विशेष सचिव की अध्यक्षता वाली तेरह सदस्यीय समिति जीन निधि से मान्यता और पुरस्कार के लिए पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की पात्रता और चयन का अवधारण करेगी।

4) समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी।

क. अपर सचिव /विशेष सचिव, विस्तार कार्य को देखने वाले कृषि एवं सहकारिता विभाग;	(अध्यक्ष)
ख. उपमहानिदेशक (कृषि विस्तार), भारतीय कृषि अनुंसधान परिषद्;	(सदस्य)
ग. उपमहानिदेशक, (सीएपीएआरटी);	(सदस्य)
घ. संयुक्त सचिव (विस्तार), कृषि एवं सहकारिता विभाग;	(सदस्य)
ड. संयुक्त सचिव (बीज़), कृषि एवं सहकारिता विभाग;	(सदस्य)
च. संयुक्त सचिव, पचांयती राज मंत्रालय;	(सदस्य)
छ. संयुक्त सचिव, जनजाति कार्य मंत्रालय;	(सदस्य)
ज. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड;	(सदस्य)
झ. सचिव, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण;	(सदस्य)
ञ से ठ कृषक संगठन, महिला संगठन, गैर सरकारी संगठन, जो कृषि और कृषि विश्वविद्यालयों से संबंधित हैं, प्रत्येक से एक प्रतिनिधि	(सदस्य)

ड. रजिस्ट्रार (कृषक अधिकार) समिति का पदेन सदस्य सचिव होगा।

5) समिति की गणपूर्ति पांच होगी।

6) मान्यता और पुरस्कार के लिए चयनित कृषकों को प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित किए जाने के लिए बीजों की विनिर्दिष्ट मात्रा या प्रसार सामग्री को राष्ट्रीय पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के जीन बैंक में जमा करना होगा।

7) पौधा संजीन उद्धारक कृषक पुरस्कार या पौधा संजीन उद्धारक कृषक मान्यता के लिए एक बार हकदार कृषक पुनः आवेदन के पात्र नहीं होगे।

6. आवेदन प्ररूप 1) पौधा संजीन उद्धारक कृषक पुरस्कार या पौधा संजीन उद्धारक कृषक मान्यता के लिए आवेदन प्ररूप इन नियमों की अनुसूची 1 के अनुसार होगा।
2) आवेदक इन नियमों की अनुसूची–2 में दिए गए प्ररूप में घोषणा को जमा करेगा।
3) आवेदन संबद्ध पंचायत जैव विविधता प्रबंध समिति या संबद्ध जिला कृषि अधिकारी या संबद्ध राज्य कृषि विश्वविद्यालय या सबंद्ध जिला जनजातीय विकास कार्यालय के अनुसंधान निदेशक के माध्यम से अग्रेषित होगा।

अनुसूची 1

[नियम 6(1) देखिए]

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

एस-2 'ए' ब्लाक, एनएएससी काम्पलेक्स, डीपीएस मार्ग, टोडापुर गांव के सामने

नई दिल्ली-110012

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 39 की उपधारा (1) का खंड (iii)) के अधीन रजिस्ट्रीकरण योग्य पौधा संजीन उद्धारक कृषक पुरस्कार/मान्यता के लिए ऐसा कृषक जो भू-प्रजातियों के आनुवांशिक स्रोतों और आर्थिक पौधों के जंगली अन्योन्याप्रयी के संरक्षण और चयन और परिरक्षण के माध्यम से उनके सुधार में लगे हैं और इस प्रकार चयनित और संरक्षित सामग्री अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण के योग्य किस्मों के जीन के दाता के रूप में उपयोग किया गया है, के लिए आवेदन प्ररूप ।

वर्ष ____________________

1.	आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
2.	डाक का पता (पत्र व्यवहार के लिए). ब्लाक ग्राम डाकघर जिला राज्य पिन दूरभाष (यदि कोई हो) ई-मेल फैक्स मोबाइल	
3.	संरक्षण स्थल (स्थलों) की अवस्थिति (अवस्थितियां)	
4.	पौधे और किस्में जिनके संरक्षण के प्रयास किए गए हैं	
5.	क्या इस प्रकार चयनित और परिरक्षित सामग्री पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन रजिस्ट्री योग्य किस्मों के जीनों के दाता के रूप में उपयोग की गई है ? (संबद्ध संस्था से प्राप्त प्रमाण पत्र संलग्न करें)	

6.	कितनी किस्में (जिसके अंतर्गत कृषक किस्में, भू-प्रजाति, जंगली अन्योन्याप्रयी और अन्य आनुवांशिक स्रोत सम्मिलित हैं) परिरक्षित की गईं ? (पादप/फसल वार ब्यौरे दें)	
7.	आवेदक द्वारा परिरक्षित किस्मों की कितने क्षेत्र में पौधा रोपण/उगाई की गई? (ब्यौरे दें)	
8.	परिरक्षण की कोई नवीन प्रक्रिया जैसे संवर्धन व्यवहार, भंडारण तकनीक आदि विकसित की गई/अपनाई गई ? (ब्यौरे दें)	
9.	उन किस्मों के बारे में जानकारी दें जिन्हें परिरक्षित किस्म के साथ विकसित किया गया ।	
10.	परिरक्षित किस्म या किस्मों में पहचान की गई भिन्नता क्या है ?	
11.	संगठन का नाम, यदि कोई हो, जिसने परिरक्षित किस्म में कोई उपयोगी विशेषता की पहचान की है	
12.	क्या कृषक को किसी अन्य संगठन द्वारा परिरक्षण के प्रयास के लिए पुरस्कार या मान्यता दी गई है ? (ब्यौरे दें)	
13.	अभिकरणों का नाम (सरकारी या गैर सरकारी संगठन) जो किए गए दावों से परिचित हों ।	V. सरकारी vi. गैर सरकारी (संगठन)
14.	क्या जनता के जैव विविधता रजिस्टर में सामग्री को स्थान दिया गया है ।	

टिप्पण :1. कृपया आवेदन प्ररूप के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें ।

2. आवेदन करने की कोई फीस नहीं है ।

3. विवरण/किसी कालम में जानकारी के लिए अतिरिक्त पृष्ठ उपाबंध के रूप में जोड़ सकते हैं ।

4. पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के पदधारियों से कोई स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है ।

5. घोषणा संलग्न की जाए ।

अनुसूची 2

पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण

एस- 2'ए' ब्लाक, एनएएससी काम्पलेक्स, डीपीएस मार्ग, टोडापुर गांव के सामने

नई दिल्ली-110012

घोषणा

[नियम 6 (2) देखिए]

उस व्यक्ति का नाम और पता/दूरभाष सं./ई-मेल जिसके साथ रजिस्ट्रार पीपीवी और एफआरए पत्र व्यवहार कर सकता है:

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) ____________________

डाक का पता (पत्र व्यवहार के लिए)____________________

ब्लाक ____________________

ग्राम ____________________

डाकघर ____________________

जिला ____________________

राज्य ____________________

पिन ____________________

दूरभाष (यदि कोई हो)____________________

आवेदन में दी गई जानकारी मेरे पूर्ण ज्ञान, जानकारी और विश्वास में सत्य है ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस आवेदन में नामित कृषक ने इस आवेदन प्ररूप में वर्णित सामग्री का परिरक्षण और सुधार किया है और पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन रजिस्टर योग्य किस्मों में जीनों के दाता के रूप में उक्त सामग्री का उपयोग किया गया है ।

(संबद्ध पंचायत जैव विविधता प्रबंध समिति के अध्यक्ष/सचिव या संबद्ध जिला कृषि अधिकारी या संबद्ध राज्य कृषि विश्वविद्यालय या संबद्ध जिला जनजातीय विकास कार्यालय के अनुसंधान निदेशक द्वारा सत्यापित होगा) ।

[फा. सं. 1-12/2010-एस.डी. V]

डा. अतनु पुरकायस्थ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Co-operation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2012

G.S.R. 601(E).—In exercise of the powers conferred by clause (iii) of sub section (1) of section 39 of Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 (53 of 2001), the Central Government hereby makes the following rules, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These Rules may be called the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights (Recognition and Reward from the Gene Fund) Rules, 2012.

   (2)They shall come into force from the date of their publication in official Gazette.

2. Reward - (1) A farmer who is engaged in the conservation of genetic resources of land races and wild relatives of economic plants and their improvement through selection and preservation shall be entitled to a reward to be called the "Plant Genome Saviour Farmer Reward".

   (2) There shall be maximum of ten rewards or less in a financial year.

   (3) The reward shall comprise of a citation, memento and cash of rupees One Lakh each.

3. Recognition- (1) A Farmer referred to in sub- rule (1) of rule (2) shall be entitled to recognition to be called the Plant Genome Saviour Farmer Recognition.

   (2) The recognition shall consist of a citation and memento subject to a maximum of twenty recognition certificates in a financial year.

4. Recognition and Reward to be conferred annually – (1) The recognition and reward to farmers shall be conferred annually.

   (2) The details and application form for recognition and reward from the Gene Fund shall be widely publicised through newspaper and website of the Authority.

5. Eligibility and the awardees to be determined by committee: - (1) The eligibility criteria for the recognition and reward shall be in accordance with section clause (iii) of sub section (1) of 39.

   (2) A farmer to be eligible for the recognition and reward shall in accordance with clause (iii) of sub section (1) of 39, be engaged in the conservation of genetic resources of land races and wild relatives of economic plants and their improvement through selection and preservation and the material so selected and preserved has been used as donors of genes in varieties registrable under the Act.

(3) A Thirteen member committee headed by Additional Secretary/Special Secretary looking after the Extension work in Department of Agriculture and Cooperation, as Chairman shall determine the eligibility and select the awardees for recognition and reward from the Gene Fund.

(4) The committee shall comprise of: -

(a) Additional Secretary/Special Secretary looking after Extension work in Department of Agriculture and Cooperation;	(Chairman)
(b) Deputy Director-General (Agri, Extension), Indian Council of Agriculture Research;	(Member)
(c) Deputy Director-General (CAPART);	(Member)
(d) Joint Secretary (Extension), Department of Agriculture and Cooperation;	(Member)
(e) Joint Secretary (Seeds), Department of Agriculture and Cooperation;	(Member)
(f) Joint Secretary, Ministry of Panchyati Raj;	(Member)
(g) Joint Secretary, Ministry of Tribal Affairs;	(Member)
(h) Chief Executive Officer, National Medicinal Plants Board;	(Member)
(i) Secretary, National Biodiversity Authority;	(Member)
(j-l) Three Representatives each from farmers' organisation, women's organisation, Non Government Organisation, relating to agriculture and Agriculture Universities;	(Member)

(m) The Registrar (Farmers' Rights) shall be the *ex officio* Member-Secretary of the committee.

(5) The quorum of the committee shall be five.

(6) The farmers shortlisted for recognition and reward shall be required to deposit in the National Gene Bank of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Right Authority a specified quantity of seeds or propagating material to be decided by the Chairperson of the Authority.

(7) The farmers once entitled for Plant Genome Saviour Farmer Reward or Plant Genome Saviour Farmer Recognition shall not be eligible to apply again.

6. Application Form – (1) The application form for Plant Genome Saviour Farmer Recognition or Plant Genome Saviour Farmer Reward shall be in accordance with the Schedule - I to these rules.

(2) The Applicant shall submit a declaration in form given in Schedule – II to these rules.

(3) The applications shall to be forwarded through Chairperson or Secretary of the Concerned Panchayat Biodiversity Management Committee or Concerned District Agricultural Officer or Director of Research of concerned State Agriculture University or Concerned District Tribal Development Office.

SCHEDULE I

[See rule 6(1)]

Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Authority

S-2, 'A' Block, NASC Complex, DPS Marg, Opp. Todapur Village

New Delhi 110 012

APPLICATION FORM FOR PLANT GENOME SAVIOUR FARMER REWARD/ RECOGNITION FOR A FARMER WHO IS ENGAGED IN CONSERVATION OF GENETIC RESOURCES OF LAND RACES AND WILD RELATIVES OF ECONOMIC PLANTS AND THEIR IMPROVEMENT THROUGH SELECTION AND PRESERVATION AND THAT THE MATERIAL SO SELECTED AND PRESERVED HAS BEEN USED AS DONORS OF GENES IN VARIETIES REGISTRABLE UNDER PPV&FR ACT, 2001 (SECTION 39(1)(iii) OF THE PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHT ACT, 2001)

Year__________

1.	Name of the Applicant (ALL CAPITALS)	
2.	Postal address (for correspondence) Block Village P.O. District State Pin Tel. (if any) E-mail Fax Mob.	
3.	Location(s) of the conservation site(s)	
4.	Plants and varieties in which conservation efforts had been made.	

5.	Whether the material so selected and preserved has been used as donors of genes in varieties registrable under Protection of Plant Varieties & Farmers' Rights Authority Act, 2001. (Certificate from the concerned institution to be attached)	
6.	How many varieties (including farmers' varieties, land races, wild relatives and other genetic resources) had been conserved? (give details plant/crop wise)	
7.	How much area is being planted/ cultivated by the applicant with the conserved varieties? (give details)	
8.	Whether any innovative methods of conservation like cultural practices, storage techniques etc developed/ adopted? (give details)	
9.	Give information about the varieties that were developed with conserved variety.	
10.	What is the distinct trait identified in the conserved variety/ varieties	
11.	Name of the organization, if any that identified any useful trait in the conserved varieties.	
12.	Whether the Farmer rewarded or recognized for the conservation efforts by any other organization? (give details)	
13.	Name the agencies (governmental or Non Government Organizations) conversant with the claims made	i. Governmental: ii. Non Government Organizations)
14.	Whether the material finds it place in People's Biodiversity Register	

Note:
1. Please sign each page of the Application Form.
2. There is no application fee.
3. For details/ information in any column, extra pages can be attached as Annexure.
4. Any clarification can be sought from the officials of PPV&FRA.
5. Declaration to be attached.

SCHEDULE II

Protection of Plant Varieties & Farmers' Rights Authority

S-2, 'A' Block NASC Complex, DPS Marg, Opp. Todapur Village

New Delhi 110 012

DECLARATION

[See rule 6 (2)]

Name and address/telephone no. /e-mail of the person with whom the Registrar, PPV&FRA can correspond with:

Name (Block Letters) ______________________________

Postal address (for correspondence) ______________________

Block ___________________

Village ___________________

P.O. ___________________

District ___________________

State ___________________

Pin ___________________

Tel. (if any) _______________

The information given in the application is true to the best of my knowledge, information and belief.

Signature of the Applicant

It is hereby certified that the farmer named in this application has conserved and improved the material mentioned in this application form and the said material has been used as donor of genes in varieties registrable under PPV&FR Act, 2001.

(To be certified by Chairperson/Secretary of the Concerned Panchayat Biodiversity Management Committee or Concerned District Agricultural Officer or Director of Research of concerned SAU or Concerned District Tribal Development Office)

[F. No. 1-12/2010-SD.V]

Dr. ATANU PURKAYASTHA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.